न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 24 / 2022 **दायर दिनांकः 01.09.2022**

उनवान

1. शालिन कुमार आयु 40 वर्ष पुत्र भगवान जाति ब्राह्मण निवासी खेडलीगंज अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

अप्रार्थीः— पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 09 / 02 / 2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 136 एल0आर0एक्ट0 का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल बलदेवपुरा पटवार हल्का दड़ा तहसील अटरू जिला बारा (राज0) की आराजी ख.नं. 104 / 362 का रकबा 0.50 हेक्टर भूमि प्रार्थी को दिनांक 20.06.2002 को एलोटमेन्ट कमेटी द्वारा एलोट की गई थी तथा आवटन शुदा भूमि पर प्रार्थी को दिनांक 27.07.2002 को पटवार हल्का दड़ा द्वारा दखलनामा दे दिया गया था तथा नक्शा तरमीम कर दिया गया था। नकल जमाबन्दी, भूमि आवंटन पत्र दखलनामा, तरमीम नक्शा की प्रति साथ में संलग्न है। प्रार्थी को एलोट शुदा आराजी ख0न0 104 / 362 को गैर खातेदारी से खातेदारी में दिनांक 10.01.2007 को दर्ज करते समय प्रार्थी को आवंटन शुदा भूमि ख.नं. 104 / 362 अंकित नही करके गलत ख.नं. 570 / 104 का रकबा 0.50 हे0 आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कार्य करते हुये दर्ज कर दिया तथा प्रार्थी को आवंटन शुदा ख.नं. 104 / 362 को गलत रूप से सिवाय चक दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी वक्त आवंटन से निरन्तर उसको आवंटित ख.नं. 104 / 362 पर

काबिज चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी आवंटित शुदा भूमि पर ही काबिज है। नवीन नकल जमाबन्दी, नवशा ट्रेस नकल जमाबन्दी सन्वत् 2061 से 2064, सेटलमेन्ट जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल की प्रति साथ में संलग्न है। प्रार्थी को आवंटित ख.नं. 104/362 को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दुरस्त कर प्रार्थी के नाम खाते दर्ज किया जाये तथा ख.नं. 570/104 को सिवायचक दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी की राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी दुरस्त कर प्रार्थी का नाम दर्ज नही किया जा सकता। यदि प्रार्थी को आवंटन शुदा खनं 104/362 भूमि जिस पर दखलनामा भी दिया गया था पुनः प्रार्थी के खाते दर्ज नहीं की गई तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही है तथा प्रार्थी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करता है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी को दुरस्त कर प्रार्थी को आवंटन शुदा ख.नं. 104/362 पर नाम दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 136 एल0आर0एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी ख.नं. 104/362 पर प्रार्थी का नाम दर्ज किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी पेरोकार सरकार की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 15/11/2022 एवं 11/01/2023 पेश कर कथन किया कि ग्राम बलदेवपुरा में ख0नं0 104/362 रकबा 2.53 है0 भूमि में से 0.50 है0 भूमि शालिन कुमार पुत्र भगवानदास जाति ब्राहमण साकिन अटरू को दिनांक 20.06.2002 को आवंटन हुई तथा उक्त भूमि पर दिनांक 27.07.2002 को दखल दिया गया जो वाद पत्र के साथ संलग्न है। नामा0 संख्या 149 से उक्त भूमि पर गैरखातेदारी दर्ज की गई। जमाबंदी संवत 2061–64 ग्राम बलदेवपुरा में खाता संख्या 151 में ख0नं0 570/104 रकबा 0.50 है0 भूमि पर नामा0 संख्या 223 दिनांक 10.01.2007 से खातेदारी दर्ज हुई। जबकि प्रार्थी को ख0नं0 104/362 में से 0.50 है0 भूमि आवंटन हुई है। उक्त प्रकरण में मुताबिक दखलनामा की पुस्त पर अंकित नजरी नक्शा अनुसार ही प्रार्थी को दखल दिया गया था परन्तु प्रार्थी की जमाबंदी संवत 2061–64 ग्राम बलदेवपुरा में खाता संख्या 151 में ख0नं0 570/104 रकबा 0.50 है0 दर्ज किया

गया जो गलत है। अतः प्रार्थी को मुताबिक दखलनामा अनुसार ख0नं0 104/362 रकबा 0.50 है0 के दक्षिणी हिस्से पर तरमीम किया जाना उचित है।

3. अभिभाषक प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी को ग्राम बलदेवपुरा में ख0नं0 104/362 रकबा 2.53 है0 भूमि में से 0.50 है0 भूमि दिनांक 20/06/2002 को आवंटित होकर गैर खातेदारी दर्ज हुई थी परन्तु राजस्व कार्मिकों द्वारा लापरवाही पूर्ण कार्य करते हुये प्रार्थी को एलोट शुदा आराजी ख0न0 104/362 को गैर खातेदारी से खातेदारी में दिनांक 10.01.2007 को दर्ज करते समय प्रार्थी को आवंटन शुदा भूमि का ख.नं. 104/362 अंकित नही करके गलत ख.नं. 570/104 का रकबा 0.50 हे0 दर्ज कर दिया तथा प्रार्थी को आवंटन शुदा ख.नं. 104/362 को गलत रूप से सिवाय चक दर्ज कर दिया जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। राजस्व कार्मिकों के द्वारा राजस्व नक्शे में तरमीम के दौरान की गई इस त्रुटि को दुरस्त करने का अधिकार माननीय न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी ख.नं. 104/362 पर प्रार्थी का नाम दर्ज किया जावे और खसरा न. 570/104 को सिवायचक दर्ज किया जावे।

4. पेरोकार सरकार द्वारा बहस के दौरान प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष को स्वीकार करने में कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। पेरोकार सरकार ने अपने जवाब दावे के साथ साथ बहस के दौरान भी वादी द्वारा चाहे गए अनुतोष को स्वीकार कर राजस्व नक्शे में चाही गई शुद्धि करने को उचित बताया है। पेरोकार सरकार ने अपने जबाव दिनांक 15/11/2022 में स्वीकार किया है कि दखलनामा अलोअी के प्रष्ठ भाग पर अंकित नजरी नकशे अनुसार ही प्रार्थी को दखल दिया गया था लेकिन तहसील ऑनलाइन करते समय नक्शा/सेग्रीग्रेशन शीट में त्रुटि हुई है जबकि नामांतरण पुस्तक पर आवंटित भूमि के नजरी नक्शे अनुसार ही नक्शा लठ्ठा बनाया गया था। पेरोकार सरकार द्वारा वादी के अनुतोषों पर सहमति देने से प्रकरण में तनकी निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।

5. अभिभाषक प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम बलदेवपुरा की प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 137 के ख0नं0 570/104 रकबा 0.50 है0 आराजी वर्तमान में प्रार्थी शालीनकुमार पुत्र भगवान के दर्ज है तथा ख0नं0 104/362 की 1.68 है0 आराजी खाता संख्या 1 में अप्रार्थी पेरोकार सरकार के खाते दर्ज है। प्रार्थी द्वारा पेश भू प्रबन्ध विभाग की मिसल जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल के अनुसार मूल खसरा न. 104 से एक अन्य बटा न. 104/362 रकबा 2.53 है0 किस्म सिवायचक पेरोकार सरकार के खाते दर्ज था। प्रार्थी द्वारा पेश भू आवंटन आदेश दिनांक 20/06/2002 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी शालिन कुमार पुत्र भगवान जाति ब्राहम्ण को ग्राम बलदेवपुरा के खसरा न. 104/362 के कुल रकबा 2.53 है0 में से 0.50 है0 आराजी दडा केम्प में भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गई थी। प्रार्थी द्वारा पेश दखलनामा अलोटी दिनांक 27/07/2002 के अनुसार प्रार्थी को खसरा न. 104/362 के रकबे 0.50 है0 पर दिनांक 27/07/2002 को राजस्व कार्मिकों द्वारा दखल दिया गया। अतः यह साबित होता है कि प्रार्थी को खसरा न. 104/362 मे से 0.50 है0 आराजी आवंटन कर कब्जा सौप दिया गया था। प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम बलदेवपुरा की जमाबंदी संवत 2061–64 दिनांक 19/11/2004 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार अटरू द्वारा जर्ये नामांतरण संख्या 223 दिनांक 10/01/2007 को प्रार्थी के पक्ष में खसरा न. 570/104 पर गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की गई थी। प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम बलदेवपुरा की संवत 2069 – 2072 में प्रार्थी की आराजी खसरा न. 570/104 जर्ये नामांतरण संख्या 331 दिनांक 10/01/2014 से SBBJ बैंक अटरू के पक्ष में रहन दर्ज की गई थी।

प्रार्थी द्वारा पेश दखलनामा अलोटी के प्रष्ठ भाग पर अंकित नजरी नक्शे दिनांक 22/01/2009 के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम बलदेवपुरा के मूल ख0नं0 104/362 के दक्षिण भाग में प्रार्थी शालिन कुमार को रकबा 0.50 है0 भूमि पर कब्जा देकर तरमीम की गई जबकि प्रार्थी द्वारा पेश हाल नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी को आवंटित खसरा न. 570/104 मूल खसरा न. 104/362 के उत्तर भाग में स्थित है। अर्थात आवंटित खसरा न. 570/104 के तरमीम मूल खसरा न. 104/362 के दक्षिण भाग के वजाय उत्तर भाग में की गई है, जो कि दखलनामा अलोटी के प्रष्ठ भाग पर अंकित नजरी नक्शा दिनांक 22/01/2009 के अनुसार सही नहीं है। पेरोकार सरकार ने अपने जबाव दिनांक 15/11/2022 में स्वीकार किया है कि दखलनामा अलोअी के प्रष्ठ भाग पर अंकित नजरी नकशे अनुसार ही प्रार्थी को दखल दिया गया था और

नक्शे लठ्ठे में दक्षिण भाग में तरमीम की गई थी, लेकिन तहसील ऑनलाइन करते समय नक्शा/सेग्रीग्रेशन शीट में नक्शे में यह त्रुटि हुई है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार अटरू की सहमति के आधार पर न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 136 एल आर एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:: क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 136 एल0आर0एक्ट0 स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम बलदेवपुरा पटवार हल्का दडा के खाता संख्या 137 के ख0नं0 570/107 रकबा 0.50 है0 आराजी के नजरी नक्शे में दखलनामा अलोटी के प्रष्ठ भाग पर अंकित नजरी नक्शा (मूल खसरे के दक्षिण में) अनुसार तरमीम शुद्ध करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है उक्तानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां